न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।

सत्र परीक्षण सं0 84/2021

राज्य बनाम आशु उर्फ आश मौहम्मद आदि

मु0अ0सं0 229/2018

अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0

थाना देवबंद, जिला सहारनपुर।

<u>आरोप</u>

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्तगण आशु उर्फ आश मौहम्मद एवं विनय उर्फ मोगली को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 10.03.2018 को समय 22:48 बजे स्थान जंगल ग्राम बाबूपुर नगली अन्तर्गत थाना देवबंद जिला सहारनपुर में आपने साशय के अग्रसरण में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किए तथा एक गोली का0 चिराग की पहनी बुलेट प्रुफ जैकेट पर लगी। यह कृत्य आपने इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में किया कि यदि किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध किया जो धारा 307/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 07.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 07.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।